

हंसाराम

न्याय आपके द्वारा

दिनांक

कन्यादेवी बनाम रमेशकुमार वगेरह
वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या 12/2018

नवलाराम

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

04.06.2018

वादीनी अनुपस्थित।

प्रतिवादी संख्या 4, 1, 6, 7, उपस्थित।

वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया वादग्रस्त भूमि मौजा नारलाई तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 1683, 1685, 1688, 1689, 1691, 1692, 1693, 1694, 1796 कुल रकबा 13.32 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि में वादी के दादा चेलाराम का 1/18 वां हिस्सा पुश्तैनी निहित होने से वादीनी ने पुश्तैनी 1/90 हिस्से की खातेदारी घोषणा एवं विभाजन का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 4 हंसाराम पुत्र छेलाराम जो वादीनी का पिता है, ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि वह अभी जीवित है तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1683, 1685, 1688, 1689, 1691, 1692, 1693, 1694, 1796 कुल रकबा 13.32 हेक्टर में उसके पिता का 1/18 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार शेष भूमि अन्य हिस्सेदारों के नाम दर्ज है। उसके जीवनकाल में वादीनी जो उसकी पुत्री है तथा प्रतिवादी 1, 2, 3 भी उसके पुत्र पुत्रीया है। सभी वारिसान को हक अधिकार उसके जीवनकाल के पश्चात अर्जित हो सकते हैं।

हमने भूमिधारी तहसीलदार देसूरी को सुना एवं उपलब्ध गत व हाल रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी वादग्रस्त भूमि के खातेदारी हक प्राप्त करने का किसी भी प्रकार से अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 हंसाराम के जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि के अधिकार वादीगण को दिया जाना कतई विधि सम्मत नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तों से वर्जित है न ही मांगा गया अनुतोष ही विधि अनुसार है, न ही वाद का वादकरण ही उत्पन्न है अतः प्राथमिक स्थिति पर ही वादी का वाद खारिज किये जाने के योग्य है। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विभिन्न उद्धरणों यथा डी.एन.जे. (रेवेन्यू) 2017 पेज 174, पेज 133 व आर.आर. टी. 2009(1) पेज 162, आर.आर.टी. 2016(1) पेज 365 से भी उक्त स्थिति की पुष्टि होती है। अतः वाद वादीनी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

(राजेश मेवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी



हंसाराम

मोहनी

तीजो

पेकरी

रीहरी